



Neutral Citation No. - 2026:AHC:445

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44096 वर्ष 2025

पापेंद्र सिंह उर्फ पापिंदर सिंह उर्फ सोनू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: नमित श्रीवास्तव, पारूल श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

श्री आलोक कुमार सिंह, अधिवक्ता, श्री नमित श्रीवास्तव, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री अजय कुमार सिंह, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धारा 483 बीएनएसएस के तहत यह जमानत याचिका आवेदक पापेंद्र सिंह उर्फ पापिंदर सिंह उर्फ सोनू की ओर से दायर की गई है, जिसमें उन्हें मुकदमा अपराध संख्या 1071/2025, धारा 8, 15, 22, मादक औषधियाँ और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम, 1985, पुलिस स्टेशन-बहेड़ी, जिला-बरेली के तहत जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि 27 किलोग्राम डोडा पाउडर आवेदक के कब्जे से बरामद किया गया है। बरामद प्रतिबंधित पदार्थ व्यावसायिक मात्रा से कम है। वास्तव में आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई है। आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए अपराध में उसके झूठे फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने में विफल रहा है। कोई रासायनिक विश्लेषक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न और पीड़ित करने के उद्देश्य से इस अपराध में झूठा फँसाया गया है। आवेदक, जो 15.11.2025 से जेल में है और जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय मुकदमे से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह प्रतिबंधित वस्तुओं की आपूर्ति में शामिल है, इसलिए आवेदक किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधि में लिप्त हो जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्यों की प्रकृति, दोषसिद्धि से होने वाली सजा की गंभीरता, आरोपी-आवेदक का चरित्र, आरोपी से संबंधित परिस्थितियाँ, मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनहित/राज्य का व्यापक हित और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपी **पापेंद्र सिंह उर्फ पापिंदर सिंह उर्फ सोनू** को निजी मुचलके और दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार इतनी ही राशि का निजी मुचलका और दो जमानती पेश करे। निम्नलिखित शर्तों के साथ:

1. आरोपी जांच या मुकदमे के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आरोपी बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा। आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की पुष्टि संबंधित न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार किए जाने से पहले की जाएगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5 जनवरी, 2026

दीपक /

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।